२२/०२/२०२१ पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप विपक्षीगण की ओर से प्रार्थना पत्र का खण्डन नहीं किया गया है। प्रार्थी ने प्र.प. के समर्थन में अपने अभिवचनों से साबित किया है प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 RTA स्वीकार किया जाकर विपक्षी सं. 1 लगायत 4 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मौजा नगलापर की खा.नं. 533 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा एवं खा.नं. 534 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम

→

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.03 11:59:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

एवं उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न तो स्वयं करें न अन्य के माध्यम से करावें। निर्णय एवं न्यायालय निर्णयानुसार व्यवस्था मुताबिक पालना।
पत्रावली फैसल शुदा शामिल नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.03 11:59:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner